



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1948 (श0)

(सं0 पटना 1203) पटना बुधवार 30 सितम्बर 2026

सं० 2ब०/वि०आ०-04-01/2026/10237—न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

24 सितम्बर 2026

विषय:— नगर निगम, पटना को वर्ष 1993-1994 से 2004-2005 तक उनके निकाय कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु बिहार सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गयी राशि ₹41,00,41,074/- (इकतालीस करोड़ इकतालीस हजार चौहत्तर रुपये) को अनुदान के रूप में समायोजित करते हुए उसके UC/DC की अनिवार्यता को शिथिल किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों के विस्तृत विवरण संबंधी महालेखाकार के प्रतिवेदन में दिनांक-01.04.2024 के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न लेखा शीर्षों में धनात्मक ऋण की राशि के रूप में ₹46744.92 लाख (चार सौ सड़सठ करोड़ चौवालीस लाख बानवे हजार रुपये) एवं ऋणात्मक ऋण के रूप में कुल ₹21.39 लाख (इक्कीस लाख उनचालीस हजार रुपये) रूप में प्रदर्शित हो रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत है:

(A) धनात्मक ऋण की राशि की विवरणी

क्र० सं०	मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	प्रदर्शित ऋण की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	6215	01	191	0101	3608.00
2	6215	01	191	0102	263.15
3	6215	02	191	0101	2546.94
4	6215	02	796	0001	89.45
5	6215	02	796	0002	439.47
6	6215	02	796	0003	64.55
7	6216	02	190	0010	21.54

क्र० सं०	मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	प्रदर्शित ऋण की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
8	6216	02	201	0002	654.59
9	6216	02	201	0005	1590.57
10	6216	02	201	0010	9542.70
11	6216	02	201	0011	870.74
12	6216	02	201	0012	73.90
13	6216	02	800	0010	21.30
14	6216	02	800	0011	375.11
15	6216	02	800	0012	59.45
16	6216	02	800	0013	48.07
17	6216	03	800	0010	366.79
18	6216	80	800	0010	61.28
19	6217	03	191	0001	1931.00
20	6217	03	796	0001	3.79
21	6217	60	191	0001	24075.63
22	6217	60	796	0001	36.90
Total					46744.92

(B) ऋणात्मक ऋण की राशि की विवरणी

क्र० सं०	मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	प्रदर्शित ऋण की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	6215	01	190	0001	-7.90
2	6216	02	201	0012	-8.80
3	6216	02	800	0001	-4.25
4	6216	80	190	0001	-0.44
Total					-21.39

2. वर्ष 1993-94 से वित्तीय वर्ष 2004-2005 तक नगर निकायों/ बोर्ड/निगमों को उनके कर्मियों के वेतनादि मद में दिये जाने वाले आवंटन की राशि में 40% राशि सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी जाती थी, जिसकी पुष्टि नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-742 दिनांक-25.03.2005 एवं स्वीकृत्यादेश सं०-801 दिनांक-30.03.2005 से होती है।

3. उक्त राशि तत्समय नगर निकायों/बोर्ड/निगमों के कर्मियों के वेतनादि मद में भुगतान हेतु विमुक्त किया गया था।

4. लगभग 20 से 35 वर्ष पुराने (संयुक्त बिहार) के समय का ऋण के रूप में प्रदर्शित हो रही से संबंधित राशि के साक्ष्य के रूप में विभागीय वेबसाईट पर मात्र दो स्वीकृत्यादेश उपलब्ध है। उक्त के अलावे इस राशि से संबंधित कोई और दस्तावेज/संचिका विभाग में उपलब्ध नहीं है।

5. उक्त राशि ऋण तथा अग्रिमों के विस्तृत विवरण संबंधी महालेखाकार के प्रतिवेदन में संयुक्त बिहार (झारखण्ड गठन के पूर्व वर्ष 1993-94) से ही प्रदर्शित होता आ रहा है। साथ ही नगर निगम, पटना के वार्षिक लेखा विवरणी (Annual Financial Statement) में भी ऋण के रूप में ₹41,00,41,074/- (इकतालीस करोड़ इकतालीस हजार चौहत्तर रुपये) प्रदर्शित हो रही है। नगर निगम, पटना के वार्षिक लेखा विवरणी के अनुसार उक्त राशि का वर्षवार किये गये भुगतान की विवरणी निम्नवत है:

पटना नगर निगम	
वित्तीय वर्ष	राशि लाख रुपये में
1993-94	203.94778
1994-95	412.86778
1995-96	293.37813
1996-97	211.52876
1997-98	871.73845
1998-99	270.35769
1999-2000	247.18572
2000-01	152.48341
2001-02	308.53961
2002-03	159.31707
2003-04	482.04902
2004-05	250.83555
Total A	3864.22897
Patna Water supply division	
1993-94	15.36925
1994-95	13.43423
1995-96	34.81612
1996-97	23.45022
1997-98	7.81693
1998-99	24.75594
1999-2000	24.58137
2000-01	23.24340
2001-02	23.03631
2002-03	22.23390
2003-04	23.44410
Total B	236.18177
Total A+B	4100.41074

6. पटना नगर निगम द्वारा म्यूनििसिपल बॉण्ड जारी किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पटना नगर निगम की वार्षिक लेखा विवरणी में सरकार के ऋण की राशि रहने के कारण उक्त म्यूनििसिपल बॉण्ड जारी करने में कठिनाई है।

7. बिहार सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों के विस्तृत विवरण संबंधी महालेखाकार के प्रतिवेदन में दिनांक-01.04.2024 के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न लेखा शीर्षों में ऋण की राशि संयुक्त बिहार के समय की है। उल्लेखनीय है कि बिहार एवं झारखण्ड के बीच नगर निकायों/बोर्ड/निगमों के **Asset** एवं **Liabilities** का विभाजन अबतक नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रदर्शित पूरे ऋण की राशि के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। चूंकि नगर निगम, पटना बिहार के अन्तर्गत है। अतः नगर निगम, पटना के वार्षिक लेखा विवरणी (**Annual Financial Statement**) में बिहार सरकार के ऋण के रूप में प्रदर्शित हो रही **₹41,00,41,074/-** (इकतालीस करोड़ इकतालीस हजार चौहत्तर रुपये) के संबंध में निर्णय लिया जाना वांछित है। साथ ही पूर्व के दस्तावेज, अभिश्रव आदि उपलब्ध नहीं होने के कारण डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) समर्पित करना संभव नहीं है।

8. वर्णित स्थिति में नगर निगम, पटना को वर्ष 1993-1994 से 2004-2005 तक उनके कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु बिहार सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गयी राशि **₹41,00,41,074/-** (इकतालीस करोड़ इकतालीस हजार चौहत्तर रुपये) को अनुदान के रूप में समायोजित करते हुए उसके **UC/DC** की अनिवार्यता को शिथिल किया जाना आवश्यक है।

9. उक्त ऋण एवं अग्रिम में प्रदर्शित **₹41,00,41,074/-** (इकतालीस करोड़ इकतालीस हजार चौहत्तर रुपये) के समायोजन हेतु मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0024-नगर निकायों में कार्यरत राज्यकर्मि,

विषयशीर्ष-3104-सहायक अनुदान वेतन मद में अनुपूरक आगणन से बजट उपबंध प्राप्त कर मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघुशीर्ष-191-स्थानीय निकायों तथा नगरपालिकाओं/नगर निगमों को सहायता, उपशीर्ष-0001-नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं को ऋण, विपत्र कोड-R-6217601910001, विषय शीर्ष-00-10-वसुलियाँ में चलान के माध्यम से जमा करा दी जायेगी।

10. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-23.09.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-10 के रूप में इस पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

11. अतः उक्त के आलोक में नगर निगम, पटना को वर्ष 1993-1994 से 2004-2005 तक उनके निकाय कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु बिहार सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गयी राशि ₹41,00,41,074/- (इकतालीस करोड़ इकतालीस हजार चौहत्तर रुपये) को अनुदान के रूप में समायोजित करते हुए उसके UC/DC की अनिवार्यता को शिथिल किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1203-571+100-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>